न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री नखतदान बारहठ, आर.ए.एस.

225RTA2019-00152Ju2019-65 Bhawarsingh etc Vs Premsingh etc

01. भंवरसिंह पुत्र स्व. रामसिंह
02. भोपालसिंह पुत्र स्व. रामसिंह जातियान् राजपुत निवासीगण राजपुतों का ग्राम नांदड़ी, तहसील व जिला जोधपुर।
03. जबरसिंह पुत्र स्व. मूलसिंह जाति राजपूत निवासी राजपुतों का ग्राम नान्दड़ी, तहसील व जिला जोधपुर।
04. भोमसिंह पुत्र गंगासिंह
05. कालूसिंह पुत्र गंगासिंह
06. छैलकंवर पुत्री गंगासिंह
07. धापुकंवर पुत्री गंगासिंह जातियान् राजपुत निवासीगण- ग्राम मोटाई तहसील फलोदी, जिला जोधपुर।
08. उच्छबकंवर पत्नी मदनसिंह जाति राजपूत निवासी राजपुतों का बास नांदड़ी, तहसील व जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट्स...

ब

ना

म

01. प्रेमसिंह पुत्र गजेसिंह जाति राजपूत निवासी राजपुतों का बास, ग्राम नांदड़ी तहसील व जिला जोधपुर।
02. भंवरसिंह पुत्र हरिसिंह जाति राजपुत, निवासी राजपुतों का बास, ग्राम नांदड़ी तहसील व जिला जोधपुर।
03. गजेसिंह पुत्र हरिसिंह जाति राजपुत निवासी राजपुतों का बास, ग्राम नांदड़ी तहसील व जिला जोधपुर।
04. लालकंवर पुत्री स्व. हरिसिंह पत्नी स्वरुपसिंह जाति राजपूत, निवासी धोलासर, तहसील फलोदी, जिला जोधपुर। (रेस्पोडेंट संख्या एक से चार स्व. हरिसिंह पुत्र स्व. मूलसिंह के विधिक उत्तराधिकारी)
05. छैलसिंह पुत्र किशोरसिंह
06. भोमसिंह पुत्र किशोरसिंह
07. मनोहरसिंह पुत्र किशोरसिंह
08. सुप्यारकंवर पुत्री किशोरसिंह
09. रतनकंवर पुत्र किशोरसिंह सभी जातियान् राजपुत निवासीगण- गांव जोधियासी जिला नागौर। (रेस्पोडेंट संख्या 5 से 9 स्व. मूलसिंह की पुत्री स्व. भंवरकंवर के विधिक उत्तराधिकारी)
10. बजरंगसिंह पुत्र भूरसिंह

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

11. जतनसिंह पुत्र भूरसिंह जातियान् राजपुत, निवासीगण गांव कसुम्बी, जिला नागौर।
12. तहसीलदार जोधपुर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बरखिलाफ आदेश सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर दिनांक 27 जून 2019 राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 80/2016 प्रेमसिंह बनाम भंवरसिंह इत्यादि

------- 0 -------

उपस्थित-

श्री सिद्धार्थ परिहार, अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स
श्री के.सी. पीतावत, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 01
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो. संख्या 12

नि र्ण य

दिनांक : 22 सितंबर, 2021

अपीलाण्ट्स ने न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जोधपुर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 80/2016 प्रेमसिंह बनाम भंवरसिंह इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 27 जून 2019 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत 02 जुलाई 2019 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या एक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत राजस्व वाद, जिसके साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश कर अस्थाई निषेधाज्ञा का निवेदन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 01.08.2016 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। पत्रावली अप्रार्थी संख्या 9 के कायम मुकाम में चल रही थी। दिनांक 27 जून 2019 को अंतरिम

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

आदेश पारित कर अपीलांट्स//अप्रार्थीगण को अंतरिम रूप सें पाबंद किया गया कि वे खसरा नं. 76 रकबा 24.15 बीघा, खसरा नं. 219 रकबा 103.09 बीघा कुल रकबा 128.04 बीघा में प्रार्थी के संयुक्त कब्जे काश्त में हस्तक्षेप नहीं करने, निर्माण कार्य नहीं कराने तथा मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश पारित कर दिया गया, जिसके विरुद्ध आलौच्य अपील प्रस्तुत की गई।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने तथ्यों एवं अपील मीमो में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज व रेकर्ड को बिना गौर किये आलोच्य आदेश पारित किया। अप्रार्थीगण अपीलार्थीगण की और से विचारण न्यायालय के समक्ष धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का जवाब पेश कर दिया, परन्तु इसी दौरान अप्रार्थी संख्या 9 का स्वर्गवास हो चुका था, जिसकी नामकायमी हेतु पत्रावली लंबित थी, परन्तु उनकी तामील से पूर्व ही अस्थाई निषेधाज्ञा बिना सुने जारी कर दी गई। स्वयं विचारण न्यायालय ने यह माना कि सभी अप्रार्थीगण की तामील नहीं हुई है, इस कारण उनके नोटिस जारी करने के आदेश दिये है। साथ ही अप्रार्थी संख्या 9 के कायम मुकाम के नोटिस भी जारी करने का आदेश दिया गया। परन्तु उसकी आज्ञा सूची में अस्थाई निषेधाज्ञा भी मनमाने ढंग से जारी कर दी गई जो किसी भी सुरत में जारी नहीं की जा सकती है। जब तक पत्रावली में कार्यवाही पूर्णरूप से रेगुलेट नहीं हो जाती उक्त पत्रावली में कोई आदेश दिया ही नहीं जा सकता। स्वयं वादी ने जो वाद पेश किया है वह वाद खातेदारी अधिकारों की घोषणा हेतु था, जबकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के किन्हीं प्रावधानों के तहत वादी को कोई टिनेंसी अधिकार उक्त भूमि में अर्जीत नहीं होते । मूल खातेदार द्वारा अप्रार्थीगण के पक्ष में पंजीकृत वसीयतनामें

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

निष्पादित किये गये एवं उन्हीं के आधार पर अप्रार्थीगण का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया गया। वादी द्वारा पंजीकृत वसीयतनामें के निरस्तीकरण हेतु दिवानी न्यायालय में वाद अलग से प्रस्तुत किये गये उस वाद में वादी द्वारा प्रार्थना पत्र बाबत जारी करने अस्थाई निषेधाज्ञा पक्षकारान् की सुनवाई के बाद गुणावगुण पर खारिज किया जा चुका है। परन्तु वादी ने उक्त तथ्य विचारण न्यायालय के समक्ष प्रकट ही नहीं किये एवं तथ्यों को छुपाते हुए अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का प्रयास किया। प्रतिवादी द्वारा इस मामले में अस्थाई निषेधाज्ञा संबंधी प्रार्थना पत्र का विधिवत एवं विस्तृत जवाब मय दस्तावेज पेश कर दिया गया तथा दीवानी न्यायालय द्वारा वादी के प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा पर पारित आदेश की नकल भी पेश की गई, परन्तु उन पर बिना कोई विचार किये आदेश पारित कर दिया गया। मूल वाद में अप्रार्थी संख्या 9 का स्वर्गवास हो चुका है, जिनकी नाम कायमी हेतु पत्रावली लंबित थी, परन्तु उससे पूर्व ही विचारण न्यायालय ने एक मृत व्यक्ति के विरुद्ध अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो अपने आप में शून्य है। विचारण न्यायालय के समक्ष मूल वाद सन् 2016 से विचाराधीन था एवं अस्थाई निषेधाज्ञा संबंधी प्रार्थना पत्र जवाब अप्रार्थी द्वारा पेश किया जा चुका था। इन परिस्थितियों में उक्त प्रार्थना पत्र पर किसी तरह का कोई अंतरिम मातहत ने न्यायिक प्रक्रिया का घोर दुरुपयोग किस है। इस कारण अपीलाधीन आदेश निरस्त योग्य है। अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश में यह लिखना सरासर गलत है कि अधिवक्ता अप्रार्थी ने बहस में भाग नहीं लिया। जब पत्रावली में अंतिम बहस की कोई स्टेज ही नहीं थी, जो स्वयं मातहत अदालत ने माना है तो फिर आदेश में लिखना सरासर गलत बेईमानी हे कि अप्रार्थी की ओर से बहस नहीं की गई। अपीलांट के अधिवक्ता ने अदालत हाजा का ध्यान हिंदु उतराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 14

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

की ओर ध्यान आकर्षित करवाते हुए निवेदन किया कि हिंदु नारी के कब्जे में कोई भी सम्पति, चाहे वह इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व या पश्चात अर्जित की गई हो, उसके द्वारा पूर्ण स्वामी के तौर पर न कि परिसीमित स्वामी के तौर पर धारित की जाएगी। अर्थात जो हिंदु नारी के विरासत में अथवा वसीयत द्वारा अथवा विभाजन में अथवा भरण-पोषण के या भरण-पोषण की बकाया के बदले में अथवा अपने विवाह के पर्वू या विवाह के समय या पश्चात दान द्वारा किसी व्यक्ति से, चाहे वह संबंधी होया न हो, अथवा अपने कौशल या परिश्रम द्वारा अथवा क्रय अथवा चिरभोग द्वारा अथवा किसी अन्य रीति से, चाहे वह कैसी ही क्यों न हो, अर्जित की हो और ऐसी कोई सम्पति भी जो इस अधिनियम प्रारम्भ से अव्यवहित पूर्व स्त्रीधन के रूप में उसके द्वारा धारित थी। **धारा** 15 हिंदु नारी की दशा में उतराधिकार के साधारण नियम अनुसार प्रथम वारिस उसके पुत्र, पुत्रिया एवं पति ही है, न कि सौतेली संतान। अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि विवादग्रस्त आराजी अपीलांट्स की मां के नाम गुजारेदार के नाम से दर्ज थी, जिसमें अपीलांट्स के हक व अधिकार निहित है। रेस्पोडेंट्स सौतेली संतान होने से उसके कोई अधिकार व हक निहित नहीं है। अतः अपीलांट अपीलांट्स स्वीकार की जावें तथा अपीलाधीन आदेश 27 जून 2019 को मय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट खारिज फरमाया जावें।

जबाब में अधिवक्ता-रेस्पो. ने कथन किया कि अपीलांट्स एवं रेस्पोडेंट्स स्व. मूलसिंह के विधिक उतराधिकारी है। स्व. मूलसिंह की दो पत्नियां थी। रेस्पोडेंट/प्रार्थीगण की मां स्व. लाड कंवर की संताने है जो स्व. मूलसिंह की प्रथम पत्नी थी। स्व. मूलसिंह द्वारा प्रथम पत्नी के देहांत के पश्चात दूसरा विवाह हीर कंवर से किया जिसकी संतान

राजस्व अपील-प्राधिकारी
जोधपुर

अपीलांट/अप्रार्थीगण है। विवाह करते समय तत्कालीन परम्पराओं के अनुसार एवं हीर कंवर की सामाजिक सुरक्षा तथा भविष्य में भरण पोषण की सुरक्षा की दृष्टि से प्रार्थी के परदादा स्व. मूलसिंह ने प्रार्थना पत्र में पद संख्या एक में वर्णित विवादग्रस्त आराजी के राजस्व रिकॉर्ड में हीर कंवर का नाम बतौर गुजारेदार के रूप में दर्ज करवाया, जो हीर कंवर की स्वअर्जित खातेदारी की, कब्जाकाश्त की भूमि नहीं थी। प्रार्थीगण भी मूलसिंह के वारिस होने के नाते हीर कंवर भी लाड कंवर की संतानों की मां हुई। प्रार्थीगण जन्म सें उपरोक्त भूमि में सहखातेदार के साथ संयुक्त रूप से काबिज है। इसलिए प्रार्थीगण विवादग्रस्त भूमि में आधे हिस्सें के उतराधिकारी है। रेस्पोडेंट के अधिवक्ता ने RAM NARAIN SINGH V.D.C.C SULTANPUR AND OTHERS OPP. PARTIES की नजीर की ओर न्यायालय हाजा का ध्यान आकर्षित करवाते हुए दृष्टांत में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि Land as Guzaredar and he will remain in possession during his life time and lifter his death the land will revert in possession of the defendants-appedllants. अंत में रेस्पोडेंट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि सिविल न्यायालय से विवादग्रस्त आराजी के बेचान/हस्तांरण नहीं करने के आदेश पारित किये गये है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा संयुक्त कब्जे काश्त की भूमि को संरक्षित रखने के लिए विधिसम्मत आदेश पारित किया है। अतः अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरमायी जावें।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरता पूर्वक अध्ययन किया गया। उपलब्ध अभिलेख खतौनी संवतः 2007 में खसरा संख्या 76,44,219 की भूमि में श्रीमती हीर कंवर का नाम गुजारेदार के रूप में दर्ज है और संवतः 2011 से 2030 तक हीर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

कंवर का नाम गुजारेदार व खुदकाश्त दोनो प्रविष्टियों की गई। **हिंदु उतराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 14 के मुताबिकः** हिंदु नारी की संपति उसकी आत्यंन्यिकतः अपनी सम्पति होगी- हिंदु नारी के कब्जे में कोई भी सम्पति, चाहे वह इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व या पश्चात अर्जित की गई हो, उसके द्वारा पूर्ण स्वामी के तौर पर न कि परिसीमित स्वामी के तौर पर धारित की जाएगी। धारा 14 में स्पष्ट किया गया है कि जो हिंदु नारी के विरासत में अथवा वसीयत द्वारा अथवा **विभाजन में अथवा भरण-पोषण के या भरण-पोषण की बकाया** के बदले में अथवा अपने विवाह के पर्वू या विवाह के समय या पश्चात दान द्वारा किसी व्यक्ति से, चाहे वह संबंधी होया न हो, अथवा अपने कौशल या परिश्रम द्वारा अथवा क्रय अथवा चिरभोग द्वारा अथवा किसी अन्य रीति से, चाहे वह कैसी ही क्यों न हो, अर्जित की हो और ऐसी कोई सम्पति भी जो इस अधिनियम प्रारम्भ से अव्यवहित पूर्व स्त्रीधन के रूप में उसके द्वारा धारित थी। (2)उपधारा(1) में अन्तर्विष्ट कोई बात ऐसी किसी सम्पति पर लागू न होगी हो दान अथवा विल द्वारा या अन्य किसी लिखत के अधीन अथवा सिविल न्यायालय की डिक्री या आदेश के अधीन या पंचाट के अधीन अर्जित की गई हो यदि दान , विल या अन्य लिखत अथ्वा डिग्री, आदेश या पंचाट के निबंधन ऐसी सम्पति में निर्बन्धित विहित करते है। **धारा 14 से स्पष्ट है कि हिंदु नारी सम्पति पर पूर्ण स्वामी के तौर पर धारित की जायेगी न कि परिसीमित स्वामी के तौर पर। धारा 15 हिंदु नारी की दशा में उतराधिकार के साधारण नियम**(1) में प्रथम वारिस उसके पुत्र, पुत्रिया एवं पति ही माना है। रेस्पोडेंट्स हीर कंवर की सौतेली संतान संतान है। इसलिए उनका विवादग्रस्त आराजी में कानूनन कोई हक-हिस्सा निहित होना नहीं पाया जाता है। वक्त सेटलमेंट वादग्रस्त भूमि हीर कंवर के नाम दर्ज होने से वह उसकी स्व

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अर्जित संपति है और उसे इसका व्ययन (वसीयत इत्यादि) करने का पूर्ण अधिकार है। रेस्पोडेंट्स अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत RAM NARAIN SINGH V.D.C.C SULTANPUR AND OTHERS OPP. PARTIES पुरूष गुजारेदार के संबंध में होने सें हस्तगत मामले में चस्पा नहीं होता है। इन परिस्थतियों में अदालत हाजा की राय में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश समर्थन योग्य नहीं ठहरता है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जोधपुर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 80/2016 प्रेमसिंह बनाम भंवरसिंह इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 27 जून 2019 खारिज किया जाता है।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया। 22/9/2021

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर